दिनांकः–   /   /2024

फर्म का नाम व पता : ....

मालिक के मोबाईल नम्बर : ....

आपके द्वारा मांग किये गये नाइट्रोजन वितरण हेतु मैं अपना वाहन अनुबन्धित करने हेतु तैयार हूं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

मॉडल	**मॉडल वर्ष**	**दर प्रति. किमी.**	**रिर्माक/अन्य शर्त**
टाटा 407	2018 या इसके बाद		
आयसर 407 (नया मॉडल)	2018 या इसके बाद		
महेन्द्रा पिक अप (Extra Long Model)	2018 या इसके बाद		

जो कि मेरे नाम से पंजीकृत है नाइट्रोजन वितरण हेतु संस्था (बायफ इन्स्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल लाइव्लीहुडस एण्ड डेवलपमेन्ट उदयपुर) को नाइट्रोजन वितरण हेतु प्रस्तावित करता हुं। वाहन के पंजीकरण फिटनेस व बीमा से संबधित समस्त दस्तावेज मैरा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर जमा करवा दुगां।

शर्त पत्र में दी गई शर्तो को मैंने अच्छी तरह पढकर समझ लिया है। यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकृत होता है, शर्त के अनुसार प्रति वाहन रूपये 25,000/– कुल 75000/– का ड्राफट/बेंकर्स चेक संस्था कार्यालय में प्रस्तृत करूगां।

मेरा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर मेरे द्वारा निर्धारित दिनांक तक शर्ते पत्र के अनुसार वाहन उपलब्ध नही करवाये जाते है तो संस्था द्वारा प्रकिया किये जाने मे किये गये खर्च के रूप मे यह राशि जब्त करने हेतु अधिकृत करता हूं।

मै संस्था के चाहे अनुसार वाहन अनुबन्धित करने हेतु तैयार हूं। मेरे वाहन की प्रति किलोमीटर दर आपके द्वारा जारी शर्तो के आधार पर हैं।

नाम वाहन मालिक :

हस्ताक्षर वाहन मालिक :

पता

फोन/मोबाईल न.

कमांक / 2024–25 /

दिनांक :–05.10.2024

नाइट्रोजन वाहन संचालन आवेदन हेत आवश्यक शर्ते

1. संस्था को वर्तमान मे कुल 02 टाटा 407 / आयसर 407 एवं 01 महेन्द्रा पिकअप डबल डेकर गाडियों की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है। गाडियों की संख्या मे आवश्यकतानुसार कमी या वृद्वी की जा सकेगी।

विवरण	लंबाई	माडल	संख्या
टाटा 407	14 फिट	2018 या इसके बाद	02
आयसर 407 (नया मॉडल)		2018 या इसके बाद	
महेन्द्रा पिकअप (Extra Long Model)	डबल डेकर	2018 या इसके बाद	01

2. आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम से कम से कम एक टाटा 407 / आयसर 407 व एक महेन्द्रा पिक अप वाहन होना आवश्यक है एवं अन्य वाहनों की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लगा सकता है। संस्था के कर्मचारी के परिवार के सदस्यों आवेदन नही कर सकेंगे।
3. आवेदक को आवेदन के साथ प्रति वाहन 25000 /– रूपये कुल 75000 /– व डी. डी. या चैक संस्था के नाम से संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि आवेदक दर स्वीकृति के पश्चात गाडी नही लगाता है तो यह राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. **वाहन मे औसत 2 से 2.25 टन वजन भरा जावेगा। वाहन के टायरों मे हवा 80 पाउण्ड एवं पत्ते कम्पनी द्वारा लगाये गए पत्ते 4 ही चाहिए, अतिरिक्त पत्ते नही लगे होने चाहिए।**
5. वाहन के द्वारा सीमन व नाईट्रोजन वितरण हेतु माह में 18 से 22 दिन में अनुमानित 3200 से 4000 प्रति वाहन और वार्षिक उपयोग टाटा / आयसर 407 लगभग 35,000 से 40,000 प्रति वाहन एवं महेन्द्रा पिक अप 45,000 से 50,000 किलोमीटर प्रति वाहन होगें। संस्था के कुछ केंद्र ऐसे स्थानो पर है जहां मार्ग कच्चा है उक्त केंद्रों पर वाहन भेजने मे द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नही होगी।
6. **प्रारम्भ मे अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे सेवाओं के आधार एवं संस्था की आवश्यकता के आधार पर कमी या वृद्वी कर सकते है।**
7. वाहन पर कंटेनर की सुरक्षा हेतु तिरपाल पीछे के पाटिये आदि की जिम्मेदारी वाहन संचालक की होगी। यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त साधन या तिरपाल नही लगाया जाता है तो संस्था द्वारा कय कर बिल की राशि द्वितीय पक्षकार के मासिक बिल से कटोती कर ली जावेगी।
8. वाहन हेतु भुगतान किया गया समस्त टोल टेक्स वाहन संचालक के द्वारा वहन किया जावेगा। संस्था द्वारा केवल राज्य से बाहर वाहन भिजवाये जाने पर देय टोल

टेक्स व टी.पी. की सरकारी रसीद की राशि प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।

9. अनुबंधित वाहन के प्रारम्भ किलोमीटर संस्था कार्यालय बायफ भवन, 18 जी ब्लाक, कम्यूनिटी हाल के पास, हिरणमगरी सेक्टर न. 14 से ही गिने जावेंगे।
10. अनुबन्ध के समय तय प्रति किलोमीटर दर के मूल्य कमी या वृद्वी डीजल की दर घटने या बढने पर त्रेमासिक जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह के अन्तिम दिन की दर के आधार पर होगी। इसके लिए अनुबन्ध की दिनांक को तय प्रति किलोमीटर की दर मे तीन माह मे ईंधन मूल्य मे होने वाली कुल कमी या वृद्वी तीन माह मे डीजल की कुल प्रति किलोमीटर कमी या वृद्वी को टाटा/आयसर 407 हेतु आठ कि.मी. व महेन्द्रा पिकअप हेतु 13 कि.मी. से विभाजित कर कमी व वृद्वी की राशि की गणना की जावेगी। कमी या वृद्वी आगामी त्रेमासीक हेतु प्रभावी होगी। डीजल राशि की गणना तिमाही समाप्ति माह के अन्तिम दिन की दर के आधार पर की जावेगी।
11. किसी कारणवश वर्तमान मे चल रहे वाहन उपलब्ध नही होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा। संस्था को समय पर व अपनी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध होना चाहीए। वाहन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किसी भी दर पर लिया जाए या संस्था के द्वारा द्वितीय पक्षकार को अनुबन्धित दर का ही भुगतान किया जावेगा।
12. यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन की व्यवस्था नही की जाती है तो संस्था द्वारा अन्य वाहन की व्यवस्था कर ली जावेगी जिसके अंतर की राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा जो कि मासिक भुगतान से काट लिया जावेगा।
13. द्वितीय पक्षकार के द्वारा वाहन की व्यवस्था न हो पाने के कारण सीमन, नाइट्रोजन या संस्था का अन्य कोई नुकसान होता है तो द्वितीय पक्षकार इसके लिए उत्तरदायी होगा।
14. संस्था के कंटेनरो के अलावा गाडी मे किसी बाहरी पार्टी का कोई सामान नही रखा जावेगा न ही गाडी मे सवारियां बिठाई जावेगी। यदि ऐसा पाया गया तो एग्रीमेन्ट रद्व कर दिया जावेगा। अन्य सामान आदि वाहन मे पाए जाने पर यदि कोई वेधानिक/कानूनी दायित्व उत्पन्न होता है तो वाहन संचालक द्वितीय पक्ष इसके लिए जिम्मेदार होगा।
15. वाहन चलाते समय ड्राईवर के द्वारा किसी प्रकार का नशा नही किया जावेगा। ड्राईवर के नशे मे होने के कारण होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी संचालक की होगी। ड्राईवर संस्था प्रतिनिधी जो कि गाडी के साथ होगा के दिशा निर्देश मे वाहन का संचालन करेंगा। कंटेनर उतारने चढवाने मे संस्था प्रतिनिधी की मदद करेगा। इस मदद हेतु ड्राईवर को संस्था द्वारा निर्धारित राशि रूपये 25/— प्रति केन्द्र सप्लाय होने पर भुगतान किया जावेगा। ड्राईवर वाहन संचालन से संबधित किसी प्रकार की परेशानी होने पर मुख्य कार्यालय या वाहन मालिक से संपर्क करेंगा। वाहन के साथ प्रतिनिधी से किसी प्रकार की बहस या झगडा नही करेगा।

BISLD Udaipur

16. यदि ड्राईवर के वाहन चलाने मे लापरवाही के कारण संस्था के कंटेनर क्षतिग्रस्त होते है तो उक्त राशि भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी क्षतिग्रस्त कंटेनर सुपुर्द कर नये कंटेनर की राशि आपसे वसूल की जावेगी। इस हेतु किसी पार्टी की गारण्टी अनुबन्ध के समय दिलवाना होगा जो कि निर्धारित प्रारूप मे नोटेरी द्वारा प्रमाणित होगी। ड्राईवर के लाइसेंस बीमा आदि सभी पूर्ण रखने की समस्त जिम्मेदारी गाडी मालिक की होगी।
17. प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष के द्वारा दो माह की लिखित सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
18. वाहन के इंजन आदि का पूर्ण कार्य कम्पलीट व टेक्स इंश्योरेंस रूट परमिट आदि समस्त कार्यवाही व ड्राईवर का लाइसेंस वेध रखने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का रहेगा। यदि किसी कारणवश गाडी पकडी जाती है तो समस्त कंटेनरों को दूसरी गाडी मे शिफट करवाने का संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा।
19. गाडी संचालन का भुगतान वितरण पूर्ण होने पर बिल प्राप्ति से कम से कम 10 दिन के बाद ही चेक अथवा ऑनलाईन द्वारा किया जावेगा। इससे पूर्व द्वितीय पक्षकार कार्यालय मे भुगतान हेतु किसी प्रकार का संपर्क नही करेगा। गाडी भुगतान मे किसी कारणवश देरी होने पर भी गाडी समय पर रवाना करने की समस्त जिम्मेदारी गाडी मालिक की होगी। संस्था द्वारा किसी प्रकार का एडवांस भुगतान नही किया जावेगा।
20. समय–समय पर आई परेशानीयों को मद्देनजर रखते हुए समझोते की शर्तो मे बदलाव का प्रबंध को पूर्ण अधिकार होगा एवं शर्तो मे बदलाव के बारे मे द्वितीय पक्षकार को जानकारी दी जावेगी।
21. राष्ट्रीय आपदाओं जैसी परिस्थितीयों को छोडकर अन्य परिस्थितीयों मे लिक्विड नाइट्रोजन व सीमन केंद्र के कार्यलय तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी। किन्ही कारणवश नही पहुंचानें पर उक्त केंद्र तक पहुंचाने पर संस्था द्वारा किया गया व्यय द्वितीय पक्षकार से वसूल किया जावेगा।
22. सरकार द्वारा यदि कोई टेक्स आदि निर्धारित किया जाता है तो उक्त टेक्स का नियम द्वितीय पक्षकार पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
23. सभी विवादो का न्यायक्षेत्र उदयपुर होगा।

BISLD
Udaipur